**भारत सरकार**

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1680**

**(दिनांक 30.07.2025 को उत्तर देने के लिए)**

**विज्ञापन मानकों को सख्ती से लागू करना**

**1680. श्री एंटो एन्टोनी:**

**श्री के. सुधाकरन:**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान देश में विज्ञापन और प्रभावशाली विपणन दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट किए गए और जाँचे गए मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा विशेषकर तेज़ी से बढ़ते डिजिटल प्रभावशाली पारिस्थितिकी तंत्र में विज्ञापन मानकों के कठोर प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का उपभोक्ता अधिकारों और सार्वजनिक विश्वास पर भ्रामक या अपारदर्शी विज्ञापन प्रथाओं के प्रभाव को किस प्रकार दूर करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या प्रकटीकरण आवश्यकताओं का उल्लंघन करने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों, ब्रांडों या एजेंसियों पर कोई दंड या नियामक कार्रवाई की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री**

**(डॉ. एल. मुरूगन)**

**(क) से (घ):** झूठे और भ्रामक विज्ञापनों सहित दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निवारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत किया जाता है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 'भ्रामक विज्ञापन रोकथाम नियम, 2022 के लिए दिशानिर्देश' जारी किए हैं, जो झूठे या भ्रामक विज्ञापनों और उससे संबंधित एंडोर्स्टमेंट से संबंधित हैं।

सट्टेबाजी और जुए को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 34 और 62 के अंतर्गत रखा गया है। अधिकांश राज्य सरकारों ने सट्टेबाजी और जुआ से निपटने के लिए अपने स्वयं के कानून बनाए हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों या उनके प्राक्सी उत्पादों/सेवाओं के विज्ञापन प्रकाशित करने से परहेज करने के लिए 13.06.2022, 03.10.2022 और 06.04.2023 को एडवाइजरी जारी की थी।

प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों के संबंध में, प्रसारित होने वाले सभी विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित विज्ञापन संहिता का पालन करना अनिवार्य है। सरकार समय-समय पर प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को विज्ञापन संहिता का पालन करने के लिए परामर्श जारी करती है।

विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के मामलों में सरकार केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उचित कार्रवाई करती है।

****